**भारत सरकार**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्‍कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 1195

उत्‍तर देने की तारीख: 20.12.2018

**केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्रदान करने के लिए आवेदन**

**1195. श्री एन॰ गोकुलकृष्णनः**

 क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने मान्यता प्रदान करने के 8000 से भी अधिक लंबित आवेदनों, जिनमें से कुछ 2007 से लंबित थे, को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा जारी संशोधित उपनियमों में मान्यता प्रदान करने की प्रक्रिया को पारदर्शी और बाध रहित बनाने पर ध्यान दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्‍तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(डॉ. सत्‍य पाल सिंह)**

(क) और (ख): केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने सूचित किया है कि उन्‍होंने 2010-11 से 2019-20 तक के सत्रों हेतु संबंधन के कुल 7535 मामलों को निपटाया है जिसका विवरण निम्‍नानुसार है:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **क्र.सं.** | **सत्र** | **निपटाए गए मामले** |
| 1. | 2010-11 | 1 |
| 2. | 2011-12 | 3 |
| 3. | 2012-13 | 3 |
| 4. | 2013-14 | 10 |
| 5. | 2014-15 | 18 |
| 6. | 2015-16 | 162 |
| 7. | 2016-17 | 686 |
| 8. | 2017-18 | 4368 |
| 9. | 2018-19 | 2247 |
| 10. | 2019-20 | 37 |
|  | **कुल** | **7535** |

(ग) और (घ): नये संबंधन उप-नियमों में बड़ा बदलाव है जो पहले अपनाई गई जटिल प्रक्रियाविधि को सरल प्रणाली आधारित बनाते हैं, प्रक्रियाओं की पुनरावृत्ति रोकते हैं, शीघ्र पारदर्शी और बाधारहित हैं और सीबीएसई के साथ कार्य को आसानी से सुनिश्चित करते हैं। यह सम्‍पूर्ण संबंधन प्रक्रिया ऑनलाइन पूर्ण होगी और वर्तमान संचार व्‍यवस्‍था से एकीकृत होगी।

संशोधित संबंधन उप-नियमों में निम्‍नलिखित मुख्‍य परिवर्तन किए गए हैं।

1. 12-14 दस्‍तावेजों की बजाय, जिला शिक्षा अधिकारी से एकल प्रमाणपत्र और एकल शपथपत्र अपेक्षित है।

2. स्‍कूलों के निरीक्षण की प्रक्रिया परिणाम आधारित है जो शिक्षा की गुणवत्‍ता पर फोकस करने वाली कार्य पद्धति पर आधारित होती है।

3. भूमि का मानकीकरण और मापन एकड़ से मैट्रिक प्रणाली में बदलकर किया जाता है।

4. संबंधन की अपेक्षाओं को अनिवार्य, उत्‍तर संबंधन उत्‍तर और सामान्‍य को स्‍पष्‍ट रूप से परिभाषित किया गया है। स्‍कूलों को शिक्षकों की भर्ती आदि, उत्‍तर संबंधन किन्‍तु सत्र प्रारम्‍भ होने से पूर्व जैसे कुछ मानदण्‍डों को पूर्ण करने की आवश्‍यकता होगी।

5. विभिन्‍न अनुरोधों को निपटाने में किसी अंतर से बचने के लिए, स्‍कूल की शिफ्टिंग; स्‍कूल/सोसायटी के नाम में बदलाव, एक सोसायटी से अंतरण और स्‍कूल बंद करने आदि के लिए स्‍पष्‍ट रूप से परिभाषित प्रावधान हैं।

6. कठिन क्षेत्र बिखरे भू-संसाधन होने के नाते अरूणाचल प्रदेश, सिक्किम राज्‍यों और अंडमान और निकोबार/लक्ष्‍यद्वीप समूह के लिए मेट्रो शहरों के समान दी गई भूमि अपेक्षाओं में छूट दी जाती है।

7. आवेदन की तारीख को 5 वर्ष की स्‍वामित्‍व गांरटी सहित पट्टे की अवधि को 30 से 15 वर्ष तक किया गया है।

8. विभिन्‍न पदाधिकारियों के उत्‍तरदायित्वों को पर्याप्‍त दण्‍ड प्रावधान के साथ स्‍पष्‍ट रूप से परिभाषित किया गया है।

**\*\*\*\*\***